(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1996
26 आषाढ़, 1918

संकल्प

सं0 5(12)/संस्था-III/93, सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के और इसी मंत्रालय के दिनांक 12 जनवरी, 1995 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत संशोधित समसंख्यक संकल्प में यथा-निहित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में, संकल्प के पैरा 2(च) के नीचे एक नया पैरा 2(छ) जोड़कर निम्नप्रकार से एक और संशोधन किया जाएगा:-

2(छ) "आयोग यह विचार करे कि क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत की एक और किस्त दी जा सकती है और इस पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस प्रकार से यदि अंतरिम राहत की सिफारिश की जाती है तो उसे वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतिम सिफारिशों को स्वीकार करने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय पैकेज़ में पूर्णत: शामिल और समायोजित किया जाएगा।"

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों और अन्य सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए।

एन. के. सिंह 17.7.96
(एन. के. सिंह)
सचिव, भारत सरकार